



भारत सरकार  
संस्कृति मंत्रालय

'कलाकार पेंशन स्कीम और कल्याण निधि' के तहत कलाकार पेंशन प्रदान करने हेतु उन व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जो पुरस्कार विजेता हो (राज्य पुरस्कार विजेता या राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता) और जो अपने सक्रिय वर्षों के दौरान कला गतिविधियों से अपनी कमाई के स्रोत वस्तुतः प्रमाणित करते हैं और जिनकी व्यक्तिगत आय (पति/पत्नी की आय सहित) प्रति माह 4000/- रुपए (केवल चार हजार रुपए) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और जिनकी आयु आवेदन की तारीख तक 60 (साठ) वर्षों से कम नहीं होनी चाहिए।

आवेदन पत्र संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से उनकी सिफारिश के साथ निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सिफारिश के बिना आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और इसे तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदन प्रपत्र और स्कीम के पूरे ब्यौरे संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट [www.indiaculture.gov.in](http://www.indiaculture.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

2. 'एमओसी स्कीम्स एप्लीकेशन' शीर्ष के तहत संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट [www.indiaculture.gov.in](http://www.indiaculture.gov.in) पर संस्कृति स्कीम निगरानी प्रणाली (सीएसएमएस) के पृष्ठ <http://csms.nic.in/login/index.php> पर पंजीकरण/लॉग इन के माध्यम से आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है।

3. आवेदन प्रपत्र की सभी प्रविष्टियां सुपाठ्य और स्पष्ट रूप से भरी जानी चाहिए। आवेदन और अनुलग्नक के प्रत्येक पृष्ठ क्रमांकित और आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने चाहिए। इसके अलावा, जांच सूची पर प्रासंगिक दस्तावेज की पृष्ठ संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

4. कलाकार पेंशन प्राप्त करने हेतु विधिवत भरे हुए आवेदन प्रपत्र की हार्ड कॉपी आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित सभी आवश्यक अनुलग्नकों सहित निर्धारित प्रारूप में संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से उनकी सिफारिश के साथ "निदेशक, दक्षिण मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, 56/1, सिविल लाइन्स, एमएलए होस्टल के सामने, नागपुर, महाराष्ट्र, पिन- 440001" को भेजी जाए।

5. यह ध्यान में रखा जाए कि अपूर्ण आवेदन पत्र और उस आवेदन पत्र पर किसी भी मामले में विचार नहीं किया जाएगा जिसकी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा सिफारिश नहीं की गई है और जिसमें उल्लिखित आवश्यक अनुलग्नक नहीं हैं।

\*\*\*\*\*

**भारत सरकार**  
**संस्कृति मंत्रालय**  
**कलाकार पेंशन स्कीम और कल्याण निधि के तहत कलाकार पेंशन हेतु आवेदन प्रपत्र**  
**भाग-I (आवेदक द्वारा भरा जाए)**

1. (क) आवेदक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) -----  
(हिन्दी में) (अंग्रेजी में)

2. लिंग (कृपया उचित पर (✓) सही चिह्न लगाएं)

पुरुष		स्त्री	
-------	--	--------	--

लाभार्थी का पासपोर्ट आकार का नया (छ: महीने से पहले का न हो) स्पष्ट और रंगीन फोटोग्राफ चिपकाना चाहिए और आवेदन प्रपत्र पर इसे स्व-अभिप्रमाणित किया जाना चाहिए। फोटोग्राफ के बिना आवेदन पत्र को सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।

3. (i) यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से है\* -----

(ii) यदि शारीरिक रूप से विकलांग है : हां/नहीं\*

4. राष्ट्रीयता : -----

5. पिता/पति का नाम : -----

6. पिन कोड के साथ पूरा पता : -----

(स्व अभिप्रमाणित दस्तावेजी -----

साक्ष्य की एक प्रति -----

संलग्न करें) ----- पिन-----

7. संपर्क ब्यौरे : (i) सेलफोन/लैंडलाइन/फैक्स नंबर ----- (ii) ई-मेल आईडी :

8. श्रेणी (कृपया उचित पर (✓) चिह्न लगाएं)

यदि पूर्वोत्तर राज्य से है		यदि किसी जनजातीय समुदाय से संबंधित हैं		सामान्य (पूर्वोत्तर राज्य एवं जनजातीय समुदाय को छोड़कर)	
----------------------------	--	--	--	---	--

9. आधार कार्ड सं. (अनिवार्य) : ----- (स्व-अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जाए)

10. वैवाहिक स्थिति : (i) विवाहित/अविवाहित\* (ii) पति/पत्नी का नाम -----

(iii) पति/पत्नी का आधार कार्ड सं. -----

11. (i) ईस्वी सन् में जन्म तिथि : ----- (ii) आवेदन की तारीख को आयु :

12. आवेदक की शैक्षिक योग्यताएं : -----

(प्रमाण के दस्तावेज की प्रति संलग्न करें)

13. (क) लाभार्थी का वर्तमान व्यवसाय : -----

(ख) पति/पत्नी का रोजगार और आय के ब्यौरे :-----

(ग) सभी स्रोतों से लाभार्थी की वार्षिक निजी आय (पति/पत्नी की आय सहित) : -----

(संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्धारित प्रपत्र में आय प्रमाणपत्र की मूल प्रति [( अनुलग्नक-II (क)] संलग्न करें)

14. लाभार्थी पर पूर्णतः आश्रित व्यक्तियों की संख्या :-----

नाम	आयु	संबंध	व्यवसाय एवं आय

15. लाभार्थी या आश्रित सदस्य के

नाम अचल संपत्ति, यदि कोई है,

के ब्यौरे : -----

16. संस्कृति के क्षेत्र में दिए गए योगदान के ब्यौरे (इसके समर्थन में दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करें)

-----  
-----

17. केन्द्र/राज्य सरकार अथवा अन्य प्रसिद्ध साहित्य या कला संबंधी सोसाइटी से प्राप्त पुरस्कार, मान्यता अथवा विशिष्टता के ब्यौरे (प्रासंगिक प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करें) : -----

18. आवेदक के बैंक खाते का ब्यौरा :

(i) बैंक खाता संख्या -----

(ii) बैंक और शाखा का नाम : -----

(iii) आईएफएस कोड : ----- (iv) एमआईसीआर कोड : -----

[विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित निर्धारित बैंक प्राधिकार पत्र (अनुलग्नक-IV) जिसे संबंधित बैंक प्रबंधक द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित किया गया हो, संलग्न किया जाए (मूल रूप में)]।

19. क्या लाभार्थी भारत सरकार/राज्य सरकार से कोई अन्य अनुदान अथवा पेंशन प्राप्त कर रहा है और यदि ऐसा है तो राशि आदि के ब्यौरे : -----

20 (i) क्या आयकरदाता है : हां/नहीं\* (ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) : -----

21. कोई अन्य प्रासंगिक सूचना जो आवेदक मंत्रालय को सूचित करना चाहता है -----

22. प्रासंगिक क्षेत्र या विशेषज्ञता क्षेत्र से तीन संदर्भों का नाम जो सीधे आवेदक से संबंधित नहीं हों :

(1) -----

(2) -----

(3) -----

23. मैं सत्यनिष्ठा से अभिपुष्टि करता हूँ कि : -

(i) मैं एक राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार विजेता कलाकार हूँ और मेरी आय का स्रोत मुख्य रूप से मेरे सक्रिय वर्षों के दौरान कला गतिविधियों से था।

(ii) मैं एक अभावग्रस्त कलाकार हूँ और मेरी आय अत्यल्प है अथवा मेरी और मेरे परिवार की आय का कोई स्रोत नहीं है अथवा परिवार के सदस्यों या अन्य स्रोत से कोई सहायता प्राप्त नहीं है। मेरे परिवार की संपूर्ण आय 4000/- रुपए (चार हजार रुपए केवल) प्रति माह या उससे अधिक नहीं है।

(iii) आवेदन की तारीख तक मेरी आयु 60 (साठ) वर्ष से कम नहीं है।

(iv) मैं घोषणा करता हूं, कि मुझसे संबंधित उपर्युक्त सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और मैं संस्कृति मंत्रालय के नियमों और 'कलाकार पेंशन स्कीम और कल्याण निधि' के प्रावधानों का पालन करने के लिए वचनबद्ध हूं। कोई भी झूठी सूचना देने/तथ्य को छुपाए जाने की स्थिति में, यदि संस्कृति मंत्रालय को बाद में यह ज्ञात होता है तो, मैं उचित दंडात्मक कार्रवाई सहित कलाकार पेंशन हेतु मेरी उम्मीदवारी की अस्वीकृति और मेरी पेंशन रोके जाने के लिए उत्तरदायी रहूंगा।

(v) मुझे मेरी आधार कार्ड संख्या को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली के साथ लिंक करने और इस संबंध में बैंक/सरकारी विभाग के साथ इसके ब्यौरे साझा करने में कोई आपत्ति नहीं है।

(vi) यदि मैं बारह महीने में एक बार जीवन प्रमाण (कम्प्यूटर द्वारा निकाला गया डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र) अथवा औपचारिक जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करता हूं तो सरकार को मेरी पेंशन रोकने तथा यदि मेरे खाते में पहले से ही पेंशन राशि जमा हो गई है, तो उस राशि को वापस लेने का अधिकार है।

स्थान : -----

तारीख : -----

(लाभार्थी के हस्ताक्षर

अथवा बाएं हाथ के अंगूठे का निशान)

(\*जो लागू नहीं है उसे काट दें)

टिप्पणी : 1. प्रपत्र में सभी प्रविष्टियां स्पष्ट और साफ रूप से भरी होनी चाहिए। अपूर्ण प्रपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. प्रपत्र में उल्लिखित सभी प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से संलग्न किए जाने चाहिए।

भाग-II (संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के संस्कृति विभाग द्वारा की जाने वाली सिफारिश )

मैं प्रमाणित करता हूं कि :

1. आवेदक श्री/श्रीमती ----- (आवेदक का नाम) ----- का प्रसिद्ध कलाकार है और वह राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार विजेता है।

2. वह राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम ----- राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र से -----रूप की मासिक वित्तीय सहायता/पेंशन प्राप्त कर रहा है।

3. मैं संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशासित 'कलाकार पेंशन स्कीम और कल्याण निधि' के तहत कलाकार पेंशन के विचारार्थ आवेदन की सिफारिश करता हूं/सिफारिश नहीं करता हूं।

4. प्रमाणित करता हूं कि मेरे कार्यालय की ओर से इस सिफारिश पत्र को जारी करने के लिए मैं अधिकृत व्यक्ति हूं। वित्तीय सहायता/पेंशन हेतु सिफारिश किए गए व्यक्ति का मुझसे कोई संबंध नहीं है।

हस्ताक्षर-----

स्थान :

नाम (स्पष्ट अक्षरों में)-----

दिनांक :

पदनाम-----

कार्यालय का पूरा पता :-----

कार्यालय मुहर (अनिवार्य) : -----

संपर्क सूत्र : -----

(\*जो लागू नहीं है उसे काट दें)

**भाग- III (वास्तविक सत्यापन टीम/निरीक्षण अधिकारी द्वारा भरी जाएगी)**

**मैं/हम\* आवेदन ब्यौरे के उचित वास्तविक निरीक्षण/सत्यापन के बाद प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि**

1. श्री/श्रीमती -----(आवेदक का नाम) ----- का/की कलाकार है।
2. मूल प्रासंगिक दस्तावेज के अनुसार उनकी वर्तमान आयु----- है।
3. मूल आय प्रमाणपत्र के अनुसार उनकी वार्षिक आय----- है।
4. मैंने/हमने\* आवेदक के मूल दस्तावेज अर्थात आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट आदि से आवेदक की पहचान की जांच की है और इस आवेदन के साथ इसकी एक प्रति संलग्न की गई है।
5. मैंने/हमने\* आवेदक के आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों और वास्तविक निरीक्षण/सत्यापन के समय प्रस्तुत मूल दस्तावेजों का मिलान किया है और इसे सही पाया गया है।
6. मेरे/हमारे\* द्वारा कलाकार पेंशन प्रदान करने पर विचार के लिए आवेदन की सिफारिश की जाती है/सिफारिश नहीं की जाती है।  
(\*जो लागू नहीं है उसे काट दें)

[निरीक्षण अधिकारी (अधिकारियों) का नाम, पदनाम और  
आधिकारिक पते के साथ हस्ताक्षर]

स्थान : -----

तारीख : -----

**भाग- IV (जेडसीसी कार्यालय/संस्कृति मंत्रालय में भरी जाएगी)**

1. क्या आवेदक द्वारा आवेदन की सभी प्रविष्टियां विधिवत भर दी गई है : हां/नहीं  
यदि नहीं है, तो कमियों का उल्लेख करें -----  
-----
2. क्या आवेदक द्वारा सभी प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न किए गए हैं : हां/नहीं  
यदि नहीं है, तो अपूर्ण दस्तावेजों का उल्लेख करें -----  
-----
3. क्या संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सिफारिश यथोचित रूप से प्राप्त हुई है और प्रस्ताव की सिफारिश की गई है : हां/नहीं।
4. यदि आवेदन सभी मायनों में पूर्ण है तो क्या आवेदक का वास्तविक सत्यापन/निरीक्षण कराया गया है और मामले को विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखने हेतु सिफारिश की गई है : हां/नहीं
5. आवेदन/फाइल सं. (केवल उन मामलों के लिए जो विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखे जाने हैं) : -----  
-----
6. वास्तविक निरीक्षण के बाद आवेदन की प्राप्ति की तारीख : -----
7. प्रस्ताव का अंतिम परिणाम : -----

कलाकार पेंशन हेतु आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों की जांच सूची  
(आवेदन और अनुलग्नक के सभी पृष्ठ क्रमांकित और निम्नानुसार भरे जाने चाहिए)

क्र. सं.	दस्तावेजों के ब्यौरे/विवरण	क्या पालन किया गया है (कृपया हां/नहीं का उल्लेख करें)	आवेदन/अनुलग्नक की पृष्ठ संख्या
1	क्या कलाकार पेंशन हेतु आवेदन प्रपत्र में सभी प्रवृष्टियां कर दी गई हैं		
2	क्या आवेदन प्रपत्र पर आवेदक के पासपोर्ट आकार का नया (छ: महीने से पहले का न हो) स्पष्ट और रंगीन फोटोग्राफ चिपकाया गया है और आवेदन प्रपत्र पर इसे स्व-अभिप्रमाणित किया गया है।		
3	क्या आवेदक के पते के प्रमाण में स्व-अभिप्रमाणित दस्तावेजी प्रमाण की प्रति संलग्न की गयी है।		
4	क्या आवेदक के आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की गयी है।		
5	क्या आवेदक की शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में प्रमाण की प्रति प्रस्तुत की गई है।		
6	क्या संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल आय प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न की गयी है।		
7	क्या आवेदन प्रपत्र के क्रम. सं. 16 में सहायक दस्तावेज सहित संस्कृति के क्षेत्र में किए गए योगदान के ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं।		
8	क्या आवेदन प्रपत्र के क्रम सं. 17 में प्रासंगिक प्रमाणपत्र सहित केन्द्र/राज्य सरकार अथवा किसी प्रसिद्ध साहित्यिक या कला सोसाइटी से प्राप्त पुरस्कार, सम्मान या विशेष सम्मान के ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं।		
9	क्या संबंधित बैंक प्रबंधक द्वारा सत्यापित और हस्ताक्षरित बैंक प्राधिकार पत्र की मूल प्रति संलग्न की गई है।		
10	क्या आवेदन प्रपत्र के क्रम संख्या 19 में धनराशि के ब्यौरे सहित आवेदक द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार से प्राप्त कोई अन्य अनुदान या पुरस्कार के संबंध में सूचना प्रस्तुत की गई है।		
11	क्या आवेदन प्रपत्र के क्रम संख्या 23 में प्रासंगिक घोषणा प्रस्तुत की गई है।		
12	क्या संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के संस्कृति विभाग से मांगी गई सिफारिश (आवेदन प्रपत्र के भाग-II में दिए गए प्रारूप के अनुसार) मूल में संलग्न किया गया है।		

आवेदक के हस्ताक्षर -----

नाम-----

आय प्रमाणपत्र

क्रम सं./ज्ञापन सं. : -----

तारीख : -----

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ----- पुत्र, पुत्री, पत्नी-----  
----- निवासी -----  
की प्रति वर्ष संपूर्ण पारिवारिक आय ----- रुपए (-----रुपए) है। उनका  
वर्तमान व्यवसाय ----- है। उनका कोई अन्य व्यवसाय और आय नहीं हैं और उनका परिवार  
में आमदनी प्राप्त करने वाला कोई अन्य सदस्य नहीं है।

स्थान :

तारीख :

जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी की मुहर और  
पूरे पते के साथ हस्ताक्षर

टिप्पण : विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आय प्रमाणपत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी की सूची  
अनुलग्नक-॥ (ख) में दी गई है।

विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में आय प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	आय प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी
1	अंडमान एवं निकोबार	तहसीलदार
2	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना	तहसीलदार
3	अरुणाचल प्रदेश	जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर
4	असम	राजस्व सर्किल अधिकारी
5	बिहार	सर्किल कार्यालय के सर्किल अधिकारी
6	चंडीगढ़	उप मंडल मजिस्ट्रेट
7	छत्तीसगढ़	नायब तहसीलदार
8	दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली	मामलातदार, दमन एवं मामलातदार, दीव
9	दिल्ली	एसडीएम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
10	गोवा	सभी तालुका के मामलातदार
11	गुजरात	जिला कलेक्टर/उप कलेक्टर/सहायक कलेक्टर/प्रान्त अधिकारी/मामलातदार
12	हरियाणा	सीआरओ (संबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार)
13	हिमाचल प्रदेश	तहसीलदार, राजस्व विभाग
14	जम्मू और कश्मीर	उप मंडल मजिस्ट्रेट(तहसीलदार की श्रेणी से नीचे स्तर का न हो।)
15	झारखण्ड	प्रत्येक जिले में उप मण्डल अधिकारी
16	कर्नाटक	तहसीलदार
17	केरल	ग्राम अधिकारी
18	लक्षद्वीप	अगात्ती और मिनिक्ॉय में उप कलेक्टर तथा शेष द्वीपों में एसडीओ
19	मध्य प्रदेश	तहसीलदार/नायब तहसीलदार
20	महाराष्ट्र	तहसीलदार
21	मणिपुर	जिला डीसी/एडीसी/एसडीओ सहित प्राधिकारी (एसडीओ/एसडीएम की श्रेणी से कम का न हो)
22	मेघालय	सरकारी कर्मचारी के मामले में नियोक्ता और अन्य के मामले में सांसद/विधायक/डीसी/एसडीओ सिविल द्वारा
23	मिजोरम	जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी
24	नागालैंड	उपायुक्त, अपर उपायुक्त और उप मंडल अधिकारी (सी)
25	ओडिशा	राजस्व अधिकारी
26	पंजाब	सीआरओ (संबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार)
27	पांडिचेरी	तहसीलदार, उप तहसीलदार
28	राजस्थान	तहसीलदार

29	सिक्किम	विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (ब्लॉक विकास अधिकारी, ग्रामीण प्रबंधन एवं विकास विभाग)												
30	तमिलनाडु	क्षेत्रीय उप तहसीलदार												
31	त्रिपुरा	संबंधित जिलों के उपायुक्त												
32	उत्तर प्रदेश	तहसीलदार												
33	उत्तराखंड	तहसीलदार/एसडीएम/सिटी मजिस्ट्रेट												
34	पश्चिम बंगाल	<table border="1"> <tr> <td>1. जिला मजिस्ट्रेट अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट-</td> <td>जिला स्तर</td> </tr> <tr> <td>2. संबंधित उप मंडल अधिकारी-</td> <td>उप मंडल स्तर</td> </tr> <tr> <td>3. संबंधित ब्लॉक के ब्लॉक विकास अधिकारी-</td> <td>ब्लॉक स्तर</td> </tr> <tr> <td>4. कलेक्टर, कोलकाता-</td> <td>कोलकाता नगर निगम के क्षेत्र के भीतर</td> </tr> <tr> <td>5. कलेक्टर, कोलकाता-</td> <td>माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के सिविल क्षेत्राधिकार के भीतर रह रहे विद्यार्थी</td> </tr> <tr> <td>6. कोलकाता पुलिस द्वारा शामिल अन्य क्षेत्र अर्थात् ऐसे क्षेत्र जिन पर कलेक्टर, कोलकाता का क्षेत्राधिकार नहीं है-</td> <td>संबंधित जिलों अर्थात् दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना के जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी।</td> </tr> </table>	1. जिला मजिस्ट्रेट अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट-	जिला स्तर	2. संबंधित उप मंडल अधिकारी-	उप मंडल स्तर	3. संबंधित ब्लॉक के ब्लॉक विकास अधिकारी-	ब्लॉक स्तर	4. कलेक्टर, कोलकाता-	कोलकाता नगर निगम के क्षेत्र के भीतर	5. कलेक्टर, कोलकाता-	माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के सिविल क्षेत्राधिकार के भीतर रह रहे विद्यार्थी	6. कोलकाता पुलिस द्वारा शामिल अन्य क्षेत्र अर्थात् ऐसे क्षेत्र जिन पर कलेक्टर, कोलकाता का क्षेत्राधिकार नहीं है-	संबंधित जिलों अर्थात् दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना के जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी।
1. जिला मजिस्ट्रेट अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट-	जिला स्तर													
2. संबंधित उप मंडल अधिकारी-	उप मंडल स्तर													
3. संबंधित ब्लॉक के ब्लॉक विकास अधिकारी-	ब्लॉक स्तर													
4. कलेक्टर, कोलकाता-	कोलकाता नगर निगम के क्षेत्र के भीतर													
5. कलेक्टर, कोलकाता-	माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के सिविल क्षेत्राधिकार के भीतर रह रहे विद्यार्थी													
6. कोलकाता पुलिस द्वारा शामिल अन्य क्षेत्र अर्थात् ऐसे क्षेत्र जिन पर कलेक्टर, कोलकाता का क्षेत्राधिकार नहीं है-	संबंधित जिलों अर्थात् दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना के जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी।													

\* शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आय प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को अभी पदनामित किया जाना है।

जीवन प्रमाण-पत्र

(कलाकार पेंशन स्कीम और कल्याण निधि के तहत अनुमोदित लाभार्थी/पेंशनभोगी द्वारा प्रति वर्ष प्रस्तुत किया जाए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ----- वार्षिकी संख्या (भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा आबंटित) ----- का धारक है, को मैंने देखा है और वह इस तारीख को जीवित है।

1. अनुमोदित लाभार्थी/पेंशनभोगी का वर्तमान पता :
2. दूरभाष/मोबाइल नं. (यदि कोई है तो) :
3. ई-मेल पता (यदि कोई है तो) :
4. आधार सं. :

(मौजूदा लाभार्थी/पेंशनभोगी के हस्ताक्षर  
अथवा बाएं हाथ का अंगूठा निशान)

जीवन प्रमाणपत्र जारी करने हेतु  
प्राधिकृत अधिकारी# के हस्ताक्षर )

नाम :

पदनाम :

मुहर :

स्थान :

तारीख :

# जीवन प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर नीचे निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति से किया जाना है :-

- (i) आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत मजिस्ट्रेट के अधिकारों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति;
- (ii) भारतीय पंजीकरण अधिनियम के तहत नियुक्त पंजीयक या उप-पंजीयक;
- (iii) राजपत्रित सरकारी कर्मचारी;
- (iv) पुलिस अधिकारी जिनका पद एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी उप-निरीक्षक के नीचे न हो;
- (v) डाकपाल, विभागीय उप पोस्ट मास्टर अथवा डाक घर निरीक्षक
- (vi) भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम श्रेणी का अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक या इसके अनुषंगी का अधिकारी (द्वितीय श्रेणी के अधिकारी सहित);
- (vii) पेंशनभोगी अधिकारी जिन्हें सेवानिवृत्ति के पहले मजिस्ट्रेट का अधिकार प्राप्त हो
- (viii) जस्टिस ऑफ पीस
- (ix) ब्लॉक विकास अधिकारी, मुन्सिफ, तहसीलदार या नायब तहसिलीदार;
- (x) ग्राम पंचायत, गांव पंचायत या ग्राम की कार्यकारी समिति का प्रमुख
- (xi) संसद, राज्य विधायिका, संघ राज्य क्षेत्र विधायिका, सरकार/प्रशासन का सदस्य
- (xii) कोषाधिकारी

**अनुलग्नक-IV**

**बैंक प्राधिकार-पत्र**

(में.....) संस्कृति मंत्रालय द्वारा संवितरित वित्तीय सहायता इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से अपने बैंक खाते में प्राप्त करना चाहता हूँ। इसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

प्राप्तकर्ता के ब्यौरे	ब्यौरा
वित्तीय सहायता प्राप्तकर्ता का नाम, बैंक खाते में नाम के अनुसार	
पता	
जिला एवं पिन कोड	
राज्य	
पैन संख्या	
टेलीफोन नम्बर एसटीडी कोड सहित	
मोबाइल नम्बर	
ई-मेल पता	
<b>बैंक ब्यौरे</b>	
बैंक का नाम	
बैंक शाखा (पूरा पता व टेलीफोन नं.)	
बैंक खाता संख्या	
खाते का प्रकार	
उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक अन्तरण का तरीका - ईसीएस/आरटीजीएस/एनईएफटी	
आईएफएससी कोड	
एमआईसीआर कोड	
क्या खाते को आधार संख्या से जोड़ा गया है	

हस्ताक्षर.....

व्यक्ति का नाम.....

खाता संख्या और आईएफएससी / एमआईसीआर कोड मेरे द्वारा सत्यापित किए गए हैं और इन्हें ऊपर सही रूप से दर्ज किया गया है।

**प्रबंधक\***

(बैंक शाखा जहां खाता है)

\*(बैंक के प्रबंधक द्वारा नीली स्याही में हस्ताक्षर किया जाए)।

(मोहर)